



# काव्युल जनरल पीटर जी. केनर

## दे देहे हैं आपके वीजा संबंधी सवालों के जवाब

हमने सुना है कि अब अमेरिका का वीजा बनवाना सस्ता हो गया है। क्या यह बात सभी तरह के वीजा पर लागू होगी?

लगभग सभी पर। वीजा जारी करने की 50 डॉलर की इश्यूएंस फ्रीस सभी तरह के पर्यटन वीजा सहित ज़्यादातर तरह के वीजा के लिए खत्म कर दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में जारी किए गए वीजा के हिसाब से यह फ्रीस न लेने से भारतीय यात्रियों को लगभग 71 करोड़ रुपये (एक करोड़ 60 लाख डॉलर) की बचत होती।

सस्ती दरों पर हवाई टिकट पाने के लिए बहुत पहले से बुकिंग करवाना ज़रूरी है। लेकिन इस बात से चिंतित हूं कि अगर वीजा समय पर नहीं मिला तो टिकट पर खर्च किए पैसे बेकार हो जाएंगे। इस मामले में आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं?

पहली बात तो यह है कि आपको वीजा के लिए जल्दी आवेदन करना चाहिए। पूरी दुनिया में करीब 97 प्रतिशत वीजा अब 48 घण्टे के अंदर जारी कर दिए जाते हैं। भारत में मुझे विश्वास है कि हम विश्व औसत की बराबरी या उससे बेहतर कर रहे हैं।

हम वीजा सेवा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद बढ़ा दी गई वीजा प्रॉसेस करने की अवधि को हमने कम कर दिया है। भारत में और भी बड़ी बात यह है कि सितंबर 2006 के अंत में अमेरिकी दूतावास ने नॉन-इमिग्रेट वीजा अपॉइंटमेंट के छह महीने के लंबित मामले निपटाने का ऐतिहासिक फैसला किया। हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि भारत में वीजा अपॉइंटमेंट

हमेशा मिल सकें।

चूंकि पर्यटक वीजा 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं और अब दो हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, इसलिए पहले से योजना बनाने पर हवाई टिकट की खरीद पर मिलने वाली छूट का फ़ायदा उठाना अब आसान होना चाहिए लेकिन अग्रिम तैयारी महत्वपूर्ण है।

**20 वर्ष से ज़्यादा की आयु का युवक हूं और यहां कामकाजी जीवन शुरू करने से पहले अमेरिका जाकर मित्रों से मिलना और धूमना-फिरना चाहता हूं।** यह वैसी ही इच्छा है जैसे युवा अमेरिकी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बाद विदेश घूमने जाते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए वीजा देने से इनकार कर दिया गया कि बहुत संभव है कि मैं वहां से वापस न लौटू। अमेरिका मेरे जैसे लोगों से भेदभाव क्यों करता है?

परंपरागत रूप से अमेरिका आप्रवासियों के लिए बहुत लोकप्रिय गंतव्य रहा है— चाहे ऐसा वैध तरीके से हो या अन्य तरीके से। इसलिए 1952 के इमिग्रेशन एंड नेशनेलटी एक्ट का एक प्रावधान, सेक्षन 214(बी) निर्देशित करता है कि ज़्यादातर अस्थायी वीजा आवेदक साक्षात्कार करनेवाले वाणिज्य दूत अधिकारी के समक्ष यह सिद्ध करें कि “किसी दूसरे देश में उनका घर है जिसे छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है।” किसी के इरादे भांप पाना बहुत कठिन है इसलिए उप वाणिज्य अधिकारी रिस्तों, हिंतों या दायित्वों के ऐसे स्पष्ट साक्ष्य चाहते हैं जिनसे यह विश्वास हो सके कि आवेदक की नीयत भारत लौटने की रहेगी। चूंकि अपना कैरियर और

वयस्क जीवन हाल ही में शुरू करने वाले लोगों के रिस्ते और दायित्व कम होते हैं, इसलिए उन्हें वीजा मिलने में भारत में ही नहीं, सभी जगह मुश्किल पेश आती है। यह भेदभाव का मामला नहीं है। यह हमारे कानून की ज़रूरत है कि अस्थायी वीजा आवेदकों को वीजा मिलने से पहले यह यकीन करना होता है कि वे अपने देश लौटेंगे।

**मेरी इच्छा अमेरिका में पढ़ने की है लेकिन मेरा कुलनाम वही है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले एक आतंकवादी का था। क्या इस कारण मुझे वीजा मिलने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए?**

नहीं। आपको वीजा के लिए आवेदन करना चाहिए और यह मानते हुए कि आप आतंकवादी नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जटिलता यह आ सकती है कि अगर आपका नाम भी ठीक वही हो जो किसी आतंकवादी का है तो हमें यह मामला एक प्रशासकीय प्रक्रिया के हवाले करना पड़ेगा जिससे यह पता चले कि आप और आतंकवादी अलग-अलग व्यक्ति हैं। इस प्रक्रिया में लगभग एक महीना लगता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है कि कुछ देर हो। अगर आपके पास यह मानने का कारण है कि आपके नाम के कारण मुश्किल होगी, तो हमारी सलाह यह होगी कि आप अपनी यात्रा से कम से कम दो महीने पहले आवेदन करें। अब क्योंकि विद्यार्थी वीजा 90 दिन पहले जारी किया जा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

**कृपया बताएं कि वीजा प्रक्रिया में सहायता के लिए अच्छे एजेंट हमें कहां मिलेंगे और उन्हें कितने ऐसे देने चाहिए?**

मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं— आपको किसी वीजा एजेंट की ज़रूरत नहीं है और वीजा दिलवाने की गारंटी लेने वालों को एक पैसा न दें। हम हर रोज़ वीजा खिड़की पर ऐसे पात्र आवेदकों की भीड़ देखते हैं जिन्हें वीजा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने वीजा सलाहकारों और अपने ‘मित्रों’ की राय पर वीजा अधिकारी के सामने जाती दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। इसके अलावा वीजा अप्वाइंटमेंट लंबित रहने का कारण था दलालों द्वारा इस प्रणाली का दुरुपयोग — वे अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें बेच देते थे।

मैं समझता हूं कि भारत में ऐसे ‘सलाहकारों’ के फलने-फूलने का कारण यह है कि अमेरिकी सरकार उपयोगी सूचनाएं उतने प्रभावी ढंग से भारतीयों तक



अमेरिकी राजदूत डेविड सी. मल्फूर्ड (बाएं) नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के कानूनुलर सेक्षन 214(बी) के लिए आए लोगों से बातचीत करते हुए।



**पीटर जी. केस्नर** कान्सुलर मामलों के मिनिस्टर काउंसलर और कान्सुल जनरल हैं। वह अगस्त 2006 में तीसरी बार भारत आए। वर्ष 1967 से 1968 तक उन्होंने नई दिल्ली के फ्रेंड्स स्कूल और अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की। बाल्टीमोर, मैरीलैंड के मूल निवासी केस्नर ने 1976 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में बी.ए. की डिग्री हासिल की। उन्होंने जायरे में शांति कोर विज्ञान अध्यापक के रूप में सेवाएं दी और 1980 में विदेश सेवा में आए। उनकी पहली नियुक्ति नई दिल्ली में हुई जहां उन्होंने 1981 से 1982 तक वाइस-कान्सुल के रूप में काम किया। अन्य जिम्मेदारियों के निर्वहन के क्रम में केस्नर पायुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह, कोलंबिया, मलयेशिया, नार्मीबिया, ग्वाटेमाला, ब्राजील और मिस्र गए। वह हिंदी समेत पांच भाषाओं में धाराप्रवाह हैं। वर्ष 1994 से 1996 तक वह विदेश विभाग के पारिस्थितिकी एवं स्थलीय संरक्षण कार्यालय में उप निदेशक थे। केस्नर जाने-माने पक्षी-प्रेमी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति (8059) देखने वालों में वह चौथे स्थान पर है। वर्ष 1989 में उन्होंने कोलंबिया में एक नई प्रजाति का पता लगाया जिसका नाम उनके सम्मान में ग्रैलेरिया केस्नेरी रखा गया है।



नहीं पहुंचा पाई जितना किया जा सकता था। जानकारी के अभाव का फ़ायदा सलाहकारों ने उठाया। वर्ष 2007 में अमेरिकी दूतावास वीजा नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में भारतीयों को बेहतर ढंग से सूचित करने के प्रयास में नई जान पूँकेगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि भारतीय आवेदकों को सही जानकारी एक विश्वस्त स्रोत से निःशुल्क प्राप्त हो।

**हम अमेरिकी हवाई अड्डों पर भारतीय और अन्य आप्रवासियों से दुर्घटनाकारी की खबरें पढ़ने रहते हैं, इसलिए मेरे मातापिता नहीं चाहते कि मैं अमेरिका जाऊं। अमेरिका पहुंचने पर क्या मेरी तलाशी के लिए मेरे कपड़े उत्तरवाएं जाएंगे?**

खबरों के बारे में जानीमानी सच्चाई यह है कि अच्छी बातें खबर के लायक नहीं मानी जातीं। यह सच है कि तलाशी के लिए कपड़े उत्तरवाने की कुछ खेदजनक घटनाएं हुई हैं लेकिन बिना झंझट के अमेरिका पहुंचने वाले लाखों लोगों के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता। अखबार में दुर्घटना की खबर पढ़ने का मतलब क्या यह है कि आप कभी भी कार में नहीं बैठेंगी?

अमेरिकी हवाई अड्डों पर झंझट में पड़ने वाले ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह कानून तोड़ रहे होते हैं। कुछ सलाह: आपका सच और पूरा सच बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। आप नॉन-इमिग्रेंट यानी अस्थायी वीजा का इस्तेमाल अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं कर सकते, न ही पर्यटक वीजाधारी वहां नौकरी कर सकते हैं। प्रतिबंधित सामग्री लाने या जिन पर इयूटी लगती है, ऐसे सामान लाने की स्थिति में कस्टम से बचने का प्रयास न करें (अमेरिका पहुंचने पर हर यात्री को दिए जाने वाले कस्टम बोर्डिंग दस्तावेज में सभी नियमों का उल्लेख होता है।)

जहां तक कपड़े उत्तर कर तलाशी लेने की बात है तो यह सच्चाई नहीं गढ़े हुए किससे हैं। कपड़े उत्तरकर तलाशी लिए जाने की नौबत तभी आएगी जब आप किसी चीज को अपने शरीर में छिपा कर तक़री करने का प्रयास कर रहे हों। सामान्यतः सुरक्षा जांच वैसे ही की जाती है जैसे भारतीय हवाई अड्डों पर होती है, हां कभी-कभी जूते उत्तरवाएं जाते हैं। खुद मेरी ही कई बार अतिरिक्त सुरक्षा जांच हो चुकी है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हुए भी मेरे साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती। हमारे यहां किसी खास जातीय समूह या राष्ट्रीयता के लोगों की अतिरिक्त सुरक्षा जांच नहीं की जाती। अगर

आप कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे तो चिंता की कोई बात नहीं, रोज लाखों लोग बिना किसी झंझट में फंसे अमेरिका में प्रवेश करते हैं।

**वीजा के लिए आवेदन करते हुए क्या मुझे अपने धर्म का उल्लेख करना होगा? क्या मेरे धर्म और कुलनाम के कारण मुझसे अधिक कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे और मुझे वीजा मिलने में ज्यादा देर लगेगा?**

नहीं, वीजा आवेदन पत्र में धर्म की जानकारी नहीं मांगी जाती और हम आवेदकों के धर्म की जानकारी न लेते और न ही रखते हैं। वीजा आवेदन में धर्म के बारे में जानकारी लेने का सवाल ही नहीं है। जैसा कि आपने बताया, आवेदक का कुलनाम अवसर उसके धर्म को इंगित कर देता है, लेकिन इससे वीजा साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं बदलती। हमारे वीजा कानून में किसी के धर्म के आधार पर वीजा न देने जैसा कोई प्रावधान नहीं है।

**मैं एक मुस्लिम स्त्री हूं। क्या हिजाब हटाने से मुझे वीजा मिलना कुछ आसान हो सकता है?**

नहीं, वीजा अधिकारियों को आवेदक के धर्म या उसके रीति-रिवाजों से कोई मतलब नहीं होता। सुरक्षा संबंधी कारणों से आवेदक की पहचान का सत्यापन जरूरी है और उसके फोटो में उसका पूरा चेहरा दिखना ही चाहिए। हमारे यहां बहुत सी स्त्री उप वाणिज्य अधिकारी हैं जो पर्दनशीन आवेदकों का साक्षात्कार ले सकती हैं। इससे बेपर्दगी की समस्या आसान हो जाएगी।

**अगर मैं सिर्फ कोई भारतीय भाषा ही बोल पाता हूं तो क्या वीजा अधिकारी मेरा आवेदन निरस्त कर देंगे?**

बिल्कुल नहीं। हमारे बहुत से वीजा अधिकारी भारतीय भाषाएं बोलते हैं। 1981-82 में मैं जब नई दिल्ली में उप वाणिज्य अधिकारी था, उन दिनों मैंने हिंदी और पंजाबी में हजारों वीजा साक्षात्कार किए। तब भी भारतीय भाषाओं में साक्षात्कार देने वाले ज्यादातर आवेदकों को वीजा मिल जाते थे। कोई बात नहीं!

**मेरा आवेदन एक बार रद्द हो चुका है। मैं दोबार आवेदन करूं या अमेरिका जाने का सपना भूल जाऊं?**

अगर यह मान लिया जाए कि आप का आवेदन इसलिए रद्द किया गया क्योंकि आप वीजा अधिकारी को आश्वस्त

## अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन कैसे करें

वीजा आवेदन फ़ार्म

[http://travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms\\_1342.html](http://travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms_1342.html)

### नई दिल्ली

वीजा सेवा

[http://newdelhi.usembassy.gov/visa\\_services.html](http://newdelhi.usembassy.gov/visa_services.html)

आप्रवासन वीजा यूनिट

[http://newdelhi.usembassy.gov/immigrant\\_visas.html](http://newdelhi.usembassy.gov/immigrant_visas.html)

गैरआप्रवासन वीजा

[http://newdelhi.usembassy.gov/nonimmigrant\\_visas.html](http://newdelhi.usembassy.gov/nonimmigrant_visas.html)

### मुंबई

वीजा सेवा

[http://mumbai.usconsulate.gov/visa\\_services.html](http://mumbai.usconsulate.gov/visa_services.html)

आप्रवासन वीजा यूनिट

[http://mumbai.usconsulate.gov/immigrant\\_visas.html](http://mumbai.usconsulate.gov/immigrant_visas.html)

गैरआप्रवासन वीजा यूनिट

[http://mumbai.usconsulate.gov/gn\\_url.html](http://mumbai.usconsulate.gov/gn_url.html)

### कोलकाता

वीजा सेवा

[http://calcutta.usconsulate.gov/how\\_to\\_apply.html](http://calcutta.usconsulate.gov/how_to_apply.html)

आप्रवासन वीजा यूनिट

[http://calcutta.usconsulate.gov/iv\\_general\\_info.html](http://calcutta.usconsulate.gov/iv_general_info.html)

गैरआप्रवासन वीजा यूनिट

[http://calcutta.usconsulate.gov/general\\_information.html](http://calcutta.usconsulate.gov/general_information.html)

कानूनी सेवा सेवा

[http://calcutta.usconsulate.gov/visa\\_contact.html](http://calcutta.usconsulate.gov/visa_contact.html)

### चेन्नई

आप्रवासन वीजा यूनिट

[http://chennai.usconsulate.gov/immigrant\\_visas.html](http://chennai.usconsulate.gov/immigrant_visas.html)

गैरआप्रवासन वीजा यूनिट

[http://chennai.usconsulate.gov/general\\_information.html](http://chennai.usconsulate.gov/general_information.html)

नहीं कर पाए कि अमेरिका से बाहर आपका घर है जहां आप बसे हुए हैं (सेवन 214(बी)) तो दो संभावनाएं बनती हैं: यदि आप आश्वस्त हैं कि यहां आप अच्छी तरह स्थापित हैं और आपका भविष्य उज्ज्वल है और आपका विदेश में बसने का कोई इरादा नहीं है, तो आप दुबारा साक्षात्कार दे सकते हैं, लेकिन आपके पास वीजा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नए ठोस तथ्य होने चाहिए। इनके बिना वीजा अधिकारी का किसी नए नतीजे पर पहुंचना असंभव है। अगर यह मान लिया जाए कि अधिकारी ने सभी पक्षों पर विचार करने के बाद आपका आवेदन रद्द किया था तो आपके पास एक ही चारा है - भारत में अच्छी तरह स्थापित होने तक इंजार करें। ऐसे में कुछ समय लगेगा।